

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2022 का आपराधिक अपील (खं.पी) सं. 635
में

2023 का आपराधिक अपील (ए.पी.) सं. 4942

थाना मामला संख्या-23 वर्ष-2018 थाना- एन.सी.बी. (सरकारी अधिकारी) जिला-पश्चिम चंपारण
से उत्पन्न

=====

संजय महतो केवट, पुत्र-मिश्री महतो, निवासी - ग्राम- गोपालिका, डाक -चिपरमारी,
जिला- परसा (नेपाल)

..... अपीलकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो, बिहार

... .. उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति:

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री विशाल प्रसाद श्रीवास्तव, अधिवक्ता
राज्य के लिए : श्रीमती अनीता कुमारी सिंह, विशेष पीपी
यू.ओ.आई. (एन.सी.बी.) के लिए : श्री राम अनुराग सिंह, सी. जी. सी

=====

मादक द्रव्य तथा मनोतेजक पदार्थ अधिनियम 1985—धारा 20(ब)(ii)सी और 23 सी—
अपीलकर्ता के कब्जे से वाणिज्यिक मात्रा से अधिक चरस बरामद की गई—सूचना मिली
कि दो व्यक्ति नेपाल से चरस लेकर आ रहे हैं—जानकारी मिलने पर एक टीम बनाई
गई—अपीलकर्ता को पकड़ लिया गया और दूसरा व्यक्ति नेपाल वापस भाग गया—
अपीलकर्ता के द्वारा जब्त की गई सामग्रियों पर कोई हस्ताक्षर नहीं—निरीक्षक की

अनुपस्थिति में नमूने लिए गए—स्वतंत्र गवाहों ने बयान में कहा गया कि उनकी उपस्थिति में कुछ भी बरामद नहीं हुआ और उन्होंने बिंदुओं पर हस्ताक्षर किए साथ ही यही तथ्य कि न तो जब्त की गई सामग्रियों को अदालत में प्रस्तुत किया गया और न ही कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया कि इसे (चरस) कानून के अनुसार नष्ट किया गया है—अभियोजन पक्ष ने अपनी जिम्मेदारी में पूरी तरह से चूक की है—अभियोजन पक्ष अपने मामले को कोई संदेह से परे साबित करने में असफल रहा—अपीलकर्ता सभी आरोपों से बरी किया गया—दोषसिद्धि और सजा को रद्द किया गया।

(पैराग्राफ 36, 37, 40, 41)

(2016) 3 एससीसी 379—निर्भर किया गया ।

=====

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रॉय

मौखिक न्यायादेश

दिनांक: 25-03-2025

पक्षकारों को सुना।

2. वर्तमान अपील विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिमी चंपारण, बेतिया द्वारा एन.डी.पी.एस. मामला संख्या 152/2018, एन.सी.बी. मामला संख्या 23/2018 तथा विशेष मामला संख्या 18/2018 में पारित दिनांक 06.06.2022 के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत अपीलकर्ता को मादक पदार्थ एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (जिसे आगे से संक्षेप में एन.डी.पी.एस. अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 20 (बी) (ii)सी एवं 23 सी के अंतर्गत दोषी ठहराया गया है तथा प्रत्येक मामले में दस वर्ष के कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये (1,00,000/- रुपये) के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है तथा अर्थदण्ड न अदा करने

पर एक वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनों सजाएं एक साथ चलाने का आदेश दिया गया है।

3. अभियोजन पक्ष की कहानी जिसके कारण मुकदमा शुरू हुआ और अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया, वह यह है कि 02.05.2018 को एसएसबी 47 बटालियन, इनरवा प्रमुख, राज कुमार कुमावत को सूचना मिली कि एक व्यक्ति चरस के साथ नेपाल से भारत में प्रवेश करने के लिए पिलर संख्या 413 पार करने वाला है। तदनुसार, एक टीम बनाई गई जो भारत-नेपाल सीमा के पिलर संख्या 413 के पास इनरवा पहुंची। दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जब उन्हें रुकने के लिए कहा गया, तो वे भागने की कोशिश करने लगे। जबकि एक नेपाल की ओर भागने में सफल रहा, दूसरे (अपीलकर्ता) को दो स्वतंत्र व्यक्तियों, प्रेम कुमार यादव और सुशील यादव की उपस्थिति में पकड़ लिया गया, तलाशी ली गई, भूरे रंग की पॉलीथीन में नौ पैकेट जब्त किए गए।

4. उस व्यक्ति ने अपना नाम संजय महतो केवट (अपीलकर्ता) बताया। इसका वजन 4.5 किलोग्राम था और डिटेक्शन किट से जांच करने पर प्रथम दृष्टया इसमें 'चरस' जैसा पदार्थ पाया गया। इसे खोला गया और सभी नौ पैकेटों में से 25-25 ग्राम के दो नमूने निकाले गए। सभी नौ पैकेटों पर ए अंकित था जबकि नमूनों पर एएस 1 और एएस 2 अंकित था। सील करने के बाद 'चरस' का फिर से वजन किया गया। यह 4.450 किलोग्राम निकला।

5. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह नेपाल के साहेब यादव द्वारा दिए गए सामान को 1000 रुपये में लेकर आ रहा था, जिसे रक्सौल में लक्ष्मण शर्मा को सौंपना था। आरोपी को गिरफ्तार कर पटना से आई एनसीबी पटना को सौंप दिया गया। जब्त

सामान को मालखाना भेज दिया गया और न्यायालय के आदेश पर नमूने जांच के लिए केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, कोलकाता भेजे गए।

6. इसके बाद पुलिस ने 26.10.2018 को आरोप पत्र प्रस्तुत किया, 05.11.2018 को धारा 20(बी)(ii)(सी) 23 सी और 29 'एनडीपीएस अधिनियम' के तहत आरोप तय किए गए। चूँकि अपीलकर्ता ने खुद को निर्दोष बताया, मुकदमा चला।

7. अभियोजन पक्ष ने अपना मामला साबित करने के लिए निम्नलिखित गवाहों को पेश किया:

पीडब्लू-1-राज कुमार कुमावत

पीडब्लू-2,-अनिल कुमार प्रसाद (मुखबिर)

पीडब्लू-3, प्रेम कुमार यादव (स्वतंत्र गवाह)

पीडब्लू-4-सुशील यादव (स्वतंत्र गवाह)

पीडब्लू-5-अशोक कुमार राय

पीडब्लू-6-राजन कुमार

8. अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गई वस्तुएं इस प्रकार हैं:

प्रदर्श 1 - संदिग्ध संजय महतो केवट को एन.डी.पी.एस एक्ट की धारा 50 के अन्तर्गत नोटिस

प्रदर्श 2 - संदिग्ध संजय महतो केवट का व्यक्तिगत तलाशी मेमो

प्रदर्श 3 - जब्ती का प्रोफार्मा

प्रदर्श 4 - अवरुद्ध वस्तु का प्रोफार्मा

प्रदर्श 5 - अवरोध मेमो

प्रदर्श 6 - जब्ती प्रक्रिया में सम्मिलित एस.एस.बी. कर्मियों की सूची

प्रदर्श 7 से 10 - सेनानायक राजकुमार कुमावत, एस.एस.बी. इनरवा द्वारा एस.एस.बी. पटना को घटना की लिखित सूचना

प्रदर्श 8 - संजय महतो केवट का चिकित्सकीय जांच रिपोर्ट

प्रदर्श 9 - एस.एस.बी. द्वारा तलाशी-सह जब्ती सूची एवं रिपोर्ट रिपोर्ट

प्रदर्श 10 - अभियुक्त संजय महतो केवट को एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 67 के अंतर्गत नोटिस

प्रदर्श 10/1 साक्षी प्रेम कुमार यादव को एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 67 के अंतर्गत नोटिस

प्रदर्श 10/2 साक्षी सुशील कुमार यादव को एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 67 के अंतर्गत नोटिस

प्रदर्श 10/3 से 10/4 अभियुक्त लक्ष्मण वर्मा को एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 67 के अंतर्गत नोटिस

प्रदर्श 11 अभियुक्त संजय महतो केवट को एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 67 के अंतर्गत नोटिस

प्रदर्श 11/1 गवाह प्रेम कुमार यादव और सुशील यादव का बयान

प्रदर्श 12 - संजय महतो केवट की जमा तलाशी

प्रदर्श 13 - संजय महतो केवट की गिरफ्तारी मेमो

प्रदर्श 14 - मालखाना रसीद

प्रदर्श 15 - नमूने के रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा गया पत्र

प्रदर्श 16 - टेस्ट मेमो

प्रदर्श 17 - सी.आर.सी.एल. कोलकाता की जांच रिपोर्ट

प्रदर्श 18 - एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 57 के अंतर्गत अनुपालन प्रतिवेदन

प्रदर्श 19 - भाषकीय परिवाद

प्रदर्श 20 - सर्व मेमो पर गवाह प्रेम कुमार यादव का हस्ताक्षर

प्रदर्श 20/1 - गवाह प्रेम कुमार यादव को एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 50 के अन्तर्गत नोटिस पर उसका हस्ताक्षर

प्रदर्श 20/2 - अवरोधन मेमो पर गवाह प्रेम कुमार यादव का हस्ताक्षर

प्रदर्श 20/3 - एन.सी.बी. द्वारा संजय महतो केवट को एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 50 के अन्तर्गत नोटिस पर गवाह प्रेम कुमार का हस्ताक्षर

प्रदर्श 20/4 - जांच-सह-जसी सूची पर गवाह प्रेम कुमार यादव का हस्ताक्षर

प्रदर्श 20/5 - एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 67 के अन्तर्गत गवाह प्रेम कुमार यादव को नोटिस पर उसका हस्ताक्षर

प्रदर्श 20/6 - एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 67 के अन्तर्गत बयान पर गवाह प्रेम कुमार यादव का हस्ताक्षर

प्रदर्श 20/7 - अभियुक्त संजय महतो केवट के गिरफ्तारी ज्ञापन पर गवाह प्रेम कुमार यादव का हस्ताक्षर

प्रदर्श 20/8 - अभियुक्त संजय महतो केवट के जमा तलाशी पर गवाह प्रेम कुमार यादव के हस्ताक्षर प्रदर्श 20/9 - व्यक्तिगत जांच मेमो पर गवाह सुशील यादव का हस्ताक्षर

प्रदर्श 20/9 - व्यक्तिगत जांच मेमो पर गवाह सुशील यादव का हस्ताक्षर

प्रदर्श 20/10 - जांच के लिए नोटिस पर गवाह सुशील यादव का हस्ताक्षर

प्रदर्श 20/11 - अवरोधन मेमो पर गवाह सुशील यादव का हस्ताक्षर

प्रदर्श 20/12 - एन.सी.बी. द्वारा संजय महतो केवट को एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 50 के अन्तर्गत नोटिस पर गवाह सुशील यादव का हस्ताक्षर

प्रदर्श 20/13 - तलाशी-सह-जत्ती सूची पर गवाह सुशील यादव का हस्ताक्षर

प्रदर्श 20/14 - एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 67 के अन्तर्गत गवाह सुशील यादव को नोटिस एवं उसका हस्ताक्षर

प्रदर्श 20/15 - एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 67 के अन्तर्गत बयान पर गवाह सुशील यादव को नोटिस पर का उसका हस्ताक्षर

प्रदर्श 20/16 - गिरफ्तारी ज्ञापन पर गवाह सुशील यादव का हस्ताक्षर

प्रदर्श 20/17 - जमा तलाशी पर गवाह सुशील यादव का हस्ताक्षर

प्रदर्श 20/18 - तलाशी-सह-जब्ती सूची पर गवाह अशोक कुमार राय का हस्ताक्षर

प्रदर्श 20/19 - अभियुक्त संजय महतो केवट के बयान पर ए. के. राय का हस्ताक्षर

प्रदर्श 21 - मालखाना रजिस्टर

प्रदर्श 22 - मादक पदार्थ का फोटो एवं प्रमाणिकरण

9. पीडब्लू-1, एसएसबी के सहायक कमांडेंट राज कुमार कुमावत हैं। उनके अनुसार, वे इनरवा में कंपनी कमांडर के पद पर तैनात थे, तभी उन्हें सूचना मिली कि पिलर संख्या 413 के पास नेपाल से भारत में मादक पदार्थ की तस्करी की जा रही है। तदनुसार, एक टीम बनाकर पिलर संख्या 413 के पास तैनात की गई। दो व्यक्ति भारत

की ओर आते पाए गए। जब उन्हें रुकने के लिए कहा गया, तो उनमें से एक नेपाल भाग गया, जबकि अपीलकर्ता को पकड़ लिया गया। बभनौली गांव के दो स्वतंत्र गवाहों प्रेम कुमार यादव और सुशील यादव, की मौजूदगी में तलाशी ली गई और 4.5 किलोग्राम चरस बरामद/जब्ती की गई। नमूने लिए गए, जब्ती सूची पर स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर किए गए और तदनुसार प्रक्रिया पूरी की गई।

10. अपनी प्रतिपरीक्षण में, पीडब्लू-1 ने सूचित किया कि उसे अपने मोबाइल नंबर 70914XXXXX पर इस गतिविधि के बारे में सूचना मिली थी। हालांकि, वह यह बताने में विफल रहा कि उसे उक्त सूचना किससे और किस मोबाइल नंबर से मिली। प्रतिपरीक्षण के दौरान उसने यह भी स्वीकार किया कि जब्त सामग्री पर आरोपी के हस्ताक्षर नहीं लिए गए थे।

11. पीडब्लू-2 अनिल कुमार प्रसाद हैं, जो एनसीबी, पटना जोन में तैनात अधिकारी हैं और मामले के मुखबिर हैं। उन्होंने भी वही कहानी सुनाई है और प्रतिपरीक्षण में आगे बताया कि आरोप पत्र 26.10.2018 पर जमा किया गया था। इसके अलावा, प्रतिपरीक्षण के दौरान, उन्होंने स्वीकार किया कि जब जब्त की गई सामग्री उन्हें सौंपी गई थी, तो उसे सील नहीं किया गया था। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि जब्त की गई सामग्री को अदालत में नहीं लाया गया है और न ही उनके द्वारा जब्त की गई सामग्री का कोई प्रमाणन किया गया है।

12. पीडब्लू-3 प्रेम कुमार यादव, एक स्वतंत्र गवाह हैं। उन्होंने दस्तावेज़ पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की लेकिन अपनी प्रतिपरीक्षण के दौरान बताया कि उनकी उपस्थिति में कुछ भी बरामद नहीं हुआ। उन्हें इनरेवा एसएसबी शिविर में बुलाया गया और उनके हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया। उन्हें कभी पता नहीं चला कि उक्त दस्तावेज़ में क्या शामिल किया गया है।

13. पीडब्लू-4 सुशील यादव दूसरे स्वतंत्र गवाह हैं। हालाँकि उन्होंने वही कहानी सुनाई लेकिन प्रतिपरीक्षण में उसने कहा कि उन्हें हस्ताक्षर करने के लिए इनरेवा एसएसबी शिविर में बुलाया गया था। उन्हें न तो सामग्री पता था और न ही उनकी मौजूदगी में कोई बरामदगी हुई थी।

14. पीडब्लू-5 अशोक कुमार राय हैं, जो एनसीबी, पटना में सूचना अधिकारी के पद पर तैनात हैं। उनके अनुसार, उन्हें मादक पदार्थों के साथ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद एक दल बनाया गया और यह इनरेवा पहुंचा, जहां दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में नौ पैकेटों से नमूने लिए गए और बाकी सामग्री को सील कर दिया गया।

15. अपनी प्रतिपरीक्षण में उन्होंने दो स्वतंत्र गवाहों को अलग-अलग नाम दिए। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि जब एसएसबी अधिकारियों ने मादक पदार्थों के पैकेट सौंपे, तो उन्हें सील नहीं किया गया था।

16. पीडब्लू-6 राजन कुमार हैं जो एनसीबी, पटना में अधीक्षक के पद पर तैनात हैं और 'मालखाना' के संरक्षक हैं। वह मलखाना रजिस्टर के साथ उपस्थित हुए और रजिस्टर में 4.450 किलोग्राम 'चरस' की प्रविष्टि प्रस्तुत की। प्रतिपरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि जब्त की गई सामग्री को नष्ट कर दिया गया है।

17. बचाव पक्ष ने दलील दी कि सामग्री जब्त करने में एनडीपीएस अधिनियम के तहत कानून की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की पूरी प्रक्रिया दोषपूर्ण है और इसलिए संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना चाहिए।

18. विचारण न्यायालय ने मामले को देखा और दर्ज किया कि दोनों गवाहों ने दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार कर लिए हैं, केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, कोलकाता ने इसे 'चरस' साबित कर दिया है, उचित नमूना लिया गया है, जब्त की गई सामग्री 'मलखाना' को भेजी गई थी और मलखाना रजिस्टर में प्रविष्टि दिखाई गई है, आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है कि वह 1,000/- रुपये में ऐसा कर रहा था, उस पृष्ठभूमि में, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन किया गया है। इस प्रकार यह अभियुक्त के खिलाफ मामला साबित हो गया है।

19. तदनुसार, अपीलकर्ता संजय महतो केवट को दिनांक 06.06.2022 के आदेश के तहत 'एनडीपीएस अधिनियम' की धारा 20(बी)(ii)सी और 23 सी के तहत दोषी ठहराया गया और प्रत्येक मामले में दस साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये (1,00,000/- रुपये) के जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।

20. व्यथित, वर्तमान अपील।

21. अपीलार्थी के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि पूरे विचारण न्यायालय के आदेश के अवलोकन से पता चलेगा कि विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालते हुए कि मामला साबित हो गया है, कई खामियों को लगभग नजरअंदाज कर दिया। न तो पीडब्लू-1 उस व्यक्ति का नाम/नंबर दे सका जिसने उसे ड्रग्स की आवाजाही के बारे में सूचित किया और न ही जब्त की गई सामग्री पर अपीलार्थी/आरोपी के हस्ताक्षर लिए गए।

22. आगे दलील यह है कि लगातार गवाहों ने स्वीकार किया कि जब एन.सी.बी. अधिकारी द्वारा बैग सौंपे गए थे, तो उन्हें सील नहीं किया गया था। विद्वत मजिस्ट्रेट के सामने नमूना नहीं लिया गया था। स्वतंत्र गवाहों ने अभियोजन पक्ष की

कहानी का समर्थन नहीं किया। उस पृष्ठभूमि में, विचारण न्यायालय को अपीलार्थी को सभी आरोपों से बरी कर देना चाहिए था क्योंकि अभियोजन पक्ष मामले को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा था।

23. एनसीबी के पक्ष में उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि विधि प्रक्रिया का पालन किया गया, क्योंकि आरोपी को रोके जाने पर उससे पूछा गया कि क्या वह गजटेड अधिकारी के समक्ष या उन्हीं के द्वारा अपनी तलाशी करवाना चाहता है, और उसने अनुमति दी कि वे उसकी तलाशी ले सकते हैं। इसके बाद, 4.5 किलोग्राम 'चरस' जैसी सामग्री का वजन किया गया और डिटेक्शन किट ने इसे स्पष्ट रूप से 'चरस' साबित किया। यहां तक कि केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, कोलकाता ने भी रिपोर्ट दी कि उसे भेजे गए नमूने 'चरस' हैं।

24. उन्होंने कहा कि इस प्रकार विद्वान ट्रायल कोर्ट इस निष्कर्ष पर सही रूप से पहुंचा है कि हालांकि स्वतंत्र गवाह ने यह स्वीकार नहीं किया कि कागजात में सामग्री उन्हें बताई गई थी, लेकिन उन्होंने संबंधित दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर से इनकार नहीं किया। अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए मालखाना रजिस्टर में 4.450 किलोग्राम चरस की प्रविष्टि स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था और 25 ग्राम प्रत्येक के नमूने लेने के बाद जब्त सामग्री को मालखाना में रखा गया था। उन्होंने आगे कहा कि जब 4.5 किलोग्राम चरस की भारी मात्रा में बरामदगी हुई है तो छोटी-मोटी खामियां बरी होने का कारण नहीं हो सकतीं।

25. राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली श्रीमती अनीता कुमारी सिंह ने भी मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत की गई दलीलों को दोहराया। उनके अनुसार, जानकारी आई, अधिकारी स्तंभ संख्या 413 पर इंतजार कर रहे थे, दो व्यक्तियों को रुकने के लिए कहा गया, एक नेपाल भाग गया

जबकि अपीलार्थी को पकड़ लिया गया। इसके अलावा, थैले से साढ़े चार किलोग्राम 'चरस' बरामद/जब्त किया गया, सभी थैलों से नमूना लिया गया और केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, कोलकाता की रिपोर्ट ने इसे 'चरस' साबित किया। हालांकि मामूली विसंगतियां हैं, लेकिन यह बरी होने का कारण नहीं हो सकता है।

26. मामले के तथ्यों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्रियों को देखने के बाद, विद्वत विचारण न्यायालय के निष्कर्षों और पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतीकरणों पर गौर करने के बाद, निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं।

27. स्वीकार किया गया मामला यह है कि एक सूचना मिली जिसके आधार पर एक टीम गठित की गई और अधिकारी भारत-नेपाल सीमा के पिलर संख्या 413 के पास पहुंचे। दो व्यक्तियों को भारत की ओर आते हुए पाया गया, जिन्हें रुकने के लिए बुलाया गया। जबकि एक नेपाल भाग गया, अपीलार्थी को पकड़ लिया गया। तलाशी लेने पर, यह आरोप लगाया जाता है कि उसके कब्जे से साढ़े चार किलोग्राम 'चरस' बरामद किया गया था, सभी नौ थैलों (एएस 1 और एएस 2 चिह्नित) से 25 ग्राम के दो नमूने लिए गए थे, जबकि सभी थैलों पर 'ए' चिह्नित किया गया था।

28. इस मोड़ पर, यह न्यायालय कुछ समय के लिए रुकता है और 'एन. डी. पी. एस. अधिनियम' की धारा 52-ए पर विचार करता है जो इस प्रकार है:

52 ए-अभिगृहीत स्वापक ओषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों का व्ययन।

(1) केंद्रीय सरकार, किन्हीं स्वापक ओषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों के संबंध में, परिसंकटमय प्रकृति, चोरी के लिए अतिसंवेदनशीलता, प्रतिस्थापन, समुचित भंडारण स्थान की विफलता या किसी अन्य सुसंगत महत्व को ध्यान में रखकर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी स्वापक ओषधियों,

मनःप्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों अथवा स्वापक ओषधियों का वर्ग, मनःप्रभावी पदार्थों का वर्ग, नियंत्रित पदार्थों का वर्ग या हस्तांतरणों का वर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनका, उनके अभिग्रहण के पश्चात्, यथाशीघ्र, ऐसे अधिकारी द्वारा और ऐसी रीति में, जो सरकार, समय-समय पर, इसमें पश्चात् विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् अवधारित करे, व्ययन किया जाएगा।

(2) जहां कोई स्वापक ओषधियाँ, मनःप्रभावी पदार्थ, नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों को अभिगृहीत कर लिया गया है और निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या धारा 53 के अधीन सशक्त किसी अधिकारी को भेज दिया गया है, वहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी ऐसी स्वापक ओषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों या हस्तांतरणों की एक तालिका तैयार करेगा जिसमें उनके वर्णन, क्वालिटी, परिमाण, पैक करने के ढंग, चिह्न, संख्यांक या ऐसे स्वापक ओषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों या पैकिंग को, जिसमें वे पैक किए गए हैं, पहचान कराने वाली अन्य विशिष्टियाँ, उद्भव का देश और अन्य विशिष्टियों से संबंधित अन्य ब्यौरे दिए गए हों, जिन्हें उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में ऐसी स्वापक ओषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों की पहचान के लिए सुसंगत समझे और किसी मजिस्ट्रेट को निम्नलिखित प्रयोजन के लिए आवेदन करेगा, अर्थात्: -

(क) ऐसे तैयार की गई तालिका का सही होना प्रमाणित करने के लिए ; या

(ख) ऐसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ऐसी ओषधियों या पदार्थों या हस्तांतरणों के फोटोचित्र लेने और ऐसे फोटोचित्रों का सही होना प्रमाणित करने के लिए ; या

(ग) ऐसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ऐसी ओषधियों या पदार्थों के प्रतिनिधि नमूने लिए जाने देने के लिए और ऐसे लिए गए नमूनों की किसी सूची का सही होना प्रमाणित करने के लिए।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन कोई आवेदन किया जाता है वहां ऐसा मजिस्ट्रेट यथाशक्य शीघ्र ऐसा आवेदन मंजूर करेगा।

(4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करने वाला प्रत्येक न्यायालय उपधारा (2) के अधीन तैयार की गई और मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित तालिका, स्वापक ओषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों के फोटोचित्रों और नमूनों की सूची को, ऐसे अपराध के संबंध में, प्राथमिक साक्ष्य मानेगा।

29. 'एन. डी. पी. एस. अधिनियम' की धारा 52-ए (2) (सी) स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि जब्त की गई सामग्री के प्रतिनिधि नमूने ऐसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में लिए जाने चाहिए।

30. यहाँ एक ऐसा मामला है जहाँ एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52A को दरकिनार कर दिया गया। अभियोजन पक्ष का स्वीकृत मामला यह है कि जब्ती और डिटेक्शन किट के माध्यम से सामग्री की जाँच के बाद प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि यह 'चरस' है, सभी नौ पैकेट खोले गए, प्रत्येक पैकेट में 25 ग्राम के नमूने लिए गए, पैकेट पर ए अंकित था जबकि दो नमूनों पर एस1 और एस2 अंकित थे। पूरी प्रक्रिया का संचालन मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में की गई।

31. पीडब्लू-1 राज कुमार कुमावत जो एसएसबी, इनरवा के कमांडर थे, उस व्यक्ति/मोबाइल नंबर का विवरण देने में विफल रहे, जिनसे उन्हें जानकारी मिली थी।

उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि जब्त सामग्री पर अपीलकर्ता के हस्ताक्षर नहीं लिए गए थे।

32. बयान पीडब्लू-2 अनिल कुमार प्रसाद (जो मुखबिर है) ने खुलासा किया कि एसएसबी अधिकारियों ने उसे बैग सीलबंद हालत में नहीं सौंपे।

33. यह न्यायालय पहले ही बयान दर्ज कर चुका है पीडब्लू-3 प्रेम कुमार यादव और पीडब्लू-4 सुशील यादव स्वतंत्र गवाह हैं और उन दोनों ने कहा है कि उन्हें इनरवा शिविर में बुलाया गया था और उन्हें सामग्री बताए बिना दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया था। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि उनकी उपस्थिति में कुछ भी बरामद/जब्त नहीं किया गया था।

34. पीडब्लू-5 अशोक कुमार राय ने भी स्वीकार किया प्रतिपरीक्षण के दौरान कि जब्त की गई सामग्री को जब एन. सी. बी. अधिकारियों को सौंपा गया तो उसे सील नहीं किया गया था। इसके अलावा, वह दो स्वतंत्र गवाहों के नाम सही ढंग से बताने में विफल रहे।

35. अंतिम गवाह पीडब्लू-6 राजन कुमार जो मालखाना का संरक्षक है/था, ने हालांकि 'चरस' की प्रविष्टि दिखाने के लिए रजिस्टर पेश किया, लेकिन जब्त सामग्री पेश नहीं की। हालांकि, उन्होंने बताया कि जब्त की गई सामग्री को नष्ट कर दिया गया है। आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष यह दिखाने के लिए एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था कि जब्त की गई सामग्री को कानून के अनुसार नष्ट कर दिया गया था।

36. उपरोक्त तथ्य जो सामने आए हैं, वे स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी दोषपूर्ण है। जब्त सामग्री पर अभियुक्त/अपीलार्थी के हस्ताक्षर की

अनुपस्थिति, एसएसबी अधिकारियों द्वारा जब्त सामग्री को खुली स्थिति में सौंपना, 'एनडीपीएस अधिनियम' के तहत मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में नमूना लेने से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अभियोजन पक्ष अपने कर्तव्य में पूरी तरह से विफल रहा है।

37. स्वतंत्र गवाहों का कथन है कि उनकी उपस्थिति में कुछ भी बरामद नहीं हुआ और उन्होंने बिंदीदार रेखाओं पर हस्ताक्षर किए, साथ ही तथ्य यह है कि न तो जब्त सामग्री को अदालत के समक्ष पेश किया गया और न ही कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया कि इसे कानून के अनुसार नष्ट कर दिया गया है, जिसने अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी को घातक बना दिया है।

38. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संघ बनाम मोहनलाल एवं अन्य (2016) 3 एससीसी 379 के मामले में माना कि अभियोजन पक्ष द्वारा 'एनडीपीएस अधिनियम' की धारा 52 (ए) का पालन न किए जाने की स्थिति में, अभियुक्त राहत पाने का हकदार है।

39. मोहनलाल (उपरोक्त) केस के पैराग्राफ संख्या 14 से 17 इस प्रकार हैं:-

14. 2014 के अधिनियम 16 द्वारा संशोधित धारा 52-ए अभिगृहीत स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के व्ययन से संबंधित है। इसमें लिखा है:

"52-ए. जब्त की गई स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों का निपटान। (1) केन्द्रीय सरकार, किसी भी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ की खतरनाक प्रकृति, चोरी, प्रतिस्थापन, उचित भंडारण स्थान की कमी या किसी अन्य प्रासंगिक विचार के प्रति उनकी संवेदनशीलता को ध्यान

में रखते हुए, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा ऐसी स्वापक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों या स्वापक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों के वर्ग को निर्दिष्ट कर सकती है, जिनका, उनकी जब्ती के पश्चात यथाशीघ्र, ऐसे अधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से निपटान किया जाएगा, जैसा कि सरकार, समय-समय पर, इसके पश्चात निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात निर्धारित करे।

(2) जहां कोई स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ जब्त किया गया है और निकटतम पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी या धारा 53 के अधीन सशक्त अधिकारी को भेजा गया है, वहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी एक अधिसूचना तैयार करेगा। ऐसी स्वापक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों की सूची जिसमें उनके विवरण, गुणवत्ता, मात्रा, पैकिंग का तरीका, चिह्न, संख्या या स्वापक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों या जिस पैकिंग में उन्हें पैक किया गया है, उत्पत्ति के देश और अन्य विवरणों से संबंधित ऐसे विवरण शामिल हों जिन्हें उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में स्वापक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों की पहचान के लिए प्रासंगिक समझे और किसी भी मजिस्ट्रेट को इस उद्देश्य के लिए आवेदन करे-

(क) इस प्रकार तैयार की गई सूची की सत्यता प्रमाणित करना; या (ख) ऐसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ऐसी

औषधियों या पदार्थों के फोटो लेना और ऐसे फोटो को सत्य प्रमाणित करना; या

(ग) ऐसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ऐसी औषधियों या पदार्थों के प्रतिनिधि नमूने लेने की अनुमति देना और इस प्रकार निकाले गए नमूनों की किसी भी सूची की सत्यता प्रमाणित करना। (3) जब उपधारा (2) के अधीन आवेदन किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट यथाशीघ्र आवेदन स्वीकार करेगा।

(4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन अपराध का विचारण करने वाला प्रत्येक न्यायालय, मादक औषधियों की सूची, फोटोग्राफ को, मनःप्रभावी पदार्थ, नियंत्रित पदार्थ या वाहन तथा उपधारा (2) के अंतर्गत तैयार किए गए नमूनों की सूची तथा मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित, ऐसे अपराध के संबंध में प्राथमिक साक्ष्य के रूप में"

15. धारा 52-ए(2)(सी) (सुप्रा) से यह स्पष्ट है कि प्रतिबंधित पदार्थ की जब्ती के पश्चात उसे या तो निकटतम पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को या धारा 53 के अंतर्गत सशक्त अधिकारी को भेजा जाना चाहिए, जो उक्त प्रावधान में निर्धारित सूची तैयार करेगा तथा मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करेगा, जिसका उद्देश्य होगा (क) सूची की सत्यता प्रमाणित करना (ख) मजिस्ट्रेट के समक्ष ली गई ऐसी औषधियों या

पदार्थों की तस्वीरों को सत्य प्रमाणित करना तथा (ग) मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में प्रतिनिधि नमूने तैयार करना तथा तैयार किए गए नमूनों की सूची की सत्यता प्रमाणित करना।

16. धारा 52-ए की उपधारा (3) के अनुसार मजिस्ट्रेट को यथाशीघ्र आवेदन स्वीकार करना होगा। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे ही जब्ती की जाती है और प्रतिबंधित माल पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी या सशक्त अधिकारी को भेजा जाता है, संबंधित अधिकारी का यह कानूनी कर्तव्य है कि वह उपरोक्त उद्देश्यों के लिए मजिस्ट्रेट से संपर्क करे, जिसमें उसकी उपस्थिति में प्रतिनिधि नमूने लेने की अनुमति देना भी शामिल है, जिसके बाद नमूनों को सूचीबद्ध किया जाएगा और मजिस्ट्रेट द्वारा इस प्रकार लिए गए नमूनों की सूची की सत्यता प्रमाणित की जाएगी। दूसरे शब्दों में, नमूने लेने की प्रक्रिया मजिस्ट्रेट की उपस्थिति और देखरेख में होनी चाहिए और पूरी प्रक्रिया को उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

17. जब्ती के समय नमूने लेने का सवाल, जो अक्सर मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में होता है, उपरोक्त योजना में नहीं उठता। ऐसा विशेष रूप से तब होता है जब अधिनियम की धारा 52-4(4) के अनुसार, धारा 32-ए की उप-धारा (2) और (3) के अनुपालन में मजिस्ट्रेट द्वारा लिए गए और प्रमाणित नमूने मुकदमे के उद्देश्य के लिए प्राथमिक साक्ष्य होते हैं। यह कहना पर्याप्त है कि अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है

जो जब्ती के समय नमूने लेने को अनिवार्य बनाता हो। शायद यही कारण है कि कोई भी राज्य जब्ती के समय नमूने लेने का दावा नहीं करता है।

40. उपरोक्त तथ्य इस न्यायालय को केवल एक निष्कर्ष पर ले जाते हैं, अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। उस परिस्थिति में, अपीलार्थी राहत के लिए हकदार है।

41. तदनुसार, विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम चंपारण, बेतिया द्वारा एन.डी.पी.एस. मामला संख्या 152/2018 (एन.सी.बी. मामला संख्या 23/2018 और विशेष मामला संख्या 18/2018) में दिनांक 06.06.2022 को पारित आक्षेपित आदेश एवं निर्णय तथा दिनांक 16.06.2022 को पारित सजा का आदेश, जिसके द्वारा अपीलकर्ता को एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 20(बी)(ii)सी और 23 सी के अंतर्गत दोषी ठहराया गया है, अपास्त किया जाता है। अपीलकर्ता को सभी आरोपों से बरी किया जाता है।

42. यह सूचित किया गया है कि अपीलार्थी 03.05.2018 के बाद से हिरासत में है। यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है तो उसे रिहा कर दिया जाए।

43. 2023 का आपराधिक अपील (ए.पी.) सं. 4942 को स्वीकार किया जाता है।

(राजीव रॉय, न्यायमूर्ति)

विनायक/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।